

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
शिवानी पब्लिक स्कूल,  
विद्यावती नगर सेक्टर-ओ, कानपुर रोड योजना लखनऊ।


पत्रांक/बेसिक-एस0टी0/3120 /2012-13,दिनांक-31-7 2012

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4)के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ (शिवानी पब्लिक स्कूल, विद्यावती नगर सेक्टर-ओ, कानपुर रोड योजना लखनऊ) को तारीख 1-7-2012 से 30-6-2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
  - 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
  - 3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
  - 4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
  - 5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
  - 6-विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
    - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
    - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
    - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
    - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना,
  - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
  - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,
  - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधायें निम्नानुसार हैं-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र-3267.38 वर्ग मी०

  
Principal  
Shivani Public School  
Sect-O, Mansarovar Yojna  
Kanpur Road, Shaheed Path  
Lucknow

  
MANAGER  
Shivani Public School  
Lucknow

निर्मित क्षेत्रफल-2588.20 वर्ग मी.

श्रीडास्थल का क्षेत्रफल-उपलब्ध है।

कक्षाओं की संख्या-10 कक्ष

प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्ष-03

बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है।

पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसाई-एक कक्ष

बाधा रहित पहुंच-प्राप्त है।

अध्यापन पठन सामग्री कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।

9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक: 12 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।

17-शासनादेश दिनांक:19-5-2011 में दिए गए समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,  
[Signature]

(सर्वदानन्द)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
लखनऊ

प्र0सं0एवं तिथि-उक्तवत।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1-जिलाधिकारी,लखनऊ।

2-मुख्य विकास अधिकारी,लखनऊ।

3-शिक्षा निदेशक(बेसिक)उ0प्र0,लखनऊ/इलाहाबाद।

3-सचिव,उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।

4-जिला समाज/जिला अल्पसंख्यक/जिला पिछडा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,लखनऊ।

5-उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी,लखनऊ।

6-कार्यालय गार्ड फाइल।

[Signature]  
Principal  
Shivani Public School  
Sect-O, Mansarovar Yejna  
Kanpur Road, Shaheed Path  
Lucknow.

[Signature]  
MANAGER  
Shivani Public School  
Lucknow

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
लखनऊ।